अध्याय-I

सामान्य

अध्याय-I: सामान्य

1.1 परिचय

इस अध्याय में झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित राजस्व की प्रवृति और लेखापरीक्षा निष्कर्षों की पृष्ठभूमि के विरुद्ध बकाया करों के लंबित संग्रहण का विहंगावलोकन प्रस्तुत करती है।

1.2 प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.2.1 2016-17 के दौरान झारखण्ड सरकार द्वारा सृजित कर एवं कर-भिन्न राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त हुए राज्यों को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों के निवल प्राप्ति में राज्य का अंश एवं सहायता अनुदान तथा पूर्ववर्ती चार वर्षों के तत्संबंधी आँकड़े **तालिका-1.1** में उल्लिखित हैं।

तालिका-1.1

राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	**राज्य सरकार द्वारा सृजित राजस्व**					
	• कर राजस्व	8,223.67	9,379.79	10,349.81	11,478.95	13,299.25
	• कर-भिन्न राजस्व	3,535.63	3,752.71	4,335.06	5,853.01	5,351.41
	कुल	**11,759.30**	**13,132.50**	**14,684.87**	**17,331.96**	**18,650.66**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों में राज्य का अंश	8,188.05	8,939.32	9,487.01	15,968.75	19,141.92[1]
	• सहायता अनुदान	4,822.20	4,064.97	7,392.68	7,337.64	9,261.35
	कुल	**13,010.25**	**13,004.29**	**16,879.69**	**23,306.39**	**28,403.27**
3	**राज्य सरकार की कुल प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**24,769.55**	**26,136.79**	**31,564.56**	**40,638.35**	**47,053.93**
4	**1 से 3 की प्रतिशतता**	**47**	**50**	**47**	**43**	**40**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे।

राज्य के अंश में 10 प्रतिशत (32 से 42 प्रतिशत) की वृद्धि के लिये 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं (2015-16) के बाद केन्द्रीय करों में राज्य का अंश बढ़ गया।

---

[1] विस्तृत विवरण के लिये विवरणी संख्या 14 - वर्ष 2016-17 के सरकार के वित्त लेखे में लघु शीर्षों के राजस्व का विस्तृत लेखा देखें। इस विवरणी में वित्त लेखे में "ए-कर राजस्व" के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 0020-निगम कर, 0021-निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028-आय एवं व्यय पर अन्य कर (लघुशीर्ष-107-व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर को छोड़कर), 0032-संपति कर, 0044-सेवा कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघ उत्पाद शुल्क एवं 0045-मालों और सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क, लघु शीर्ष-901 निवल प्राप्तियों में राज्यों को समनुदिष्ट हिस्सा के अधीन दर्ज आँकड़ों को राज्य द्वारा सृजित राजस्व से अलग कर और विभाज्य संघीय करों में राज्य के अंश में सम्मिलित कर इस विवरणी में दिखाया गया है।

प्रतिशतता के संदर्भ में वर्ष 2016-17 के अनुसार राज्य की राजस्व प्राप्तियों का विघटन **चार्ट-1.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट - 1.1

राज्य राजस्व का विघटन

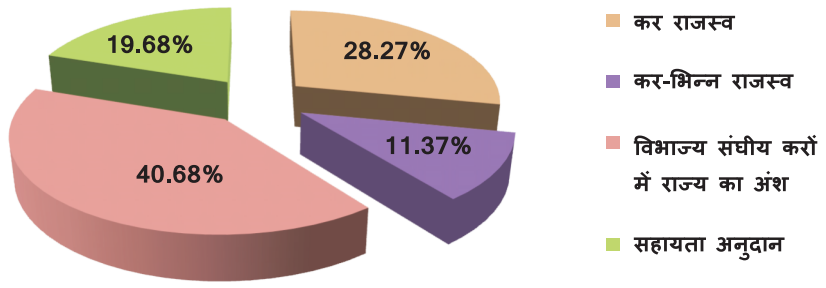

1.2.2 2012-13 से 2016-17 के दौरान सृजित कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2

कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 की तुलना में 2016-17 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	ब.अ.	6,650.00	7,874.50	9,267.95	11,180.02	12,703.00	(+) 13.62
		वास्तविक	6,421.61	7,305.08	8,069.72	8,998.95	10,549.25	(+) 17.23
2	राज्य उत्पाद	ब.अ.	650.00	700.00	1,931.84	1,200.00	1,500.00	(+) 25.00
		वास्तविक	577.92	627.93	740.16	912.47	961.68	(+) 5.39
3	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	ब.अ.	490.00	568.00	680.48	800.00	900.00	(+) 12.50
		वास्तविक	492.40	502.61	530.67	531.64	607.00	(+) 14.18
4	वाहनों पर कर	ब.अ.	550.00	639.40	836.33	900.76	1,100.00	(+) 22.12
		वास्तविक	465.36	494.79	660.37	632.59	681.52	(+) 7.73
5	विद्युत पर कर एवं शुल्क	ब.अ.	142.00	161.00	193.82	200.00	250.00	(+) 25.00
		वास्तविक	110.72	145.79	175.40	125.68	151.89	(+) 20.85
6	भू-राजस्व	ब.अ.	82.00	95.00	300.14	300.00	400.00	(+) 33.33
		वास्तविक	96.38	229.84	83.54	164.35	240.26	(+) 46.19
7	माल एवं यात्रियों पर कर-स्थानीय क्षेत्रों में वस्तुओं के प्रवेश पर कर	ब.अ.	20.00	अनिर्धारित	0.15	5.00	7.00	(+) 40.00
		वास्तविक	0.51	1.08	0.28	0.17	0.01	(-) 94.12

तालिका-1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	राजस्व शीर्ष		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 की तुलना में 2016-17 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
8	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	ब.अ.	28.00	34.50	41.91	35.00	40.00	(+) 14.29
		वास्तविक	15.28	22.76	32.57	30.22	39.94	(+) 32.16
9	व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	ब.अ.	65.00	80.00	61.38	80.00	150.00	(+) 87.50
		वास्तविक	43.49	49.91	57.11	82.88	67.69	(-) 18.33
कुल		**ब.अ.**	**8,677.00**	**10,152.40**	**13,314.00**	**14,700.78**	**17,050.00**	**(+) 15.98**
		वास्तविक	**8,223.67**	**9,379.79**	**10,349.81**	**11,478.95**	**13,299.25**	**(+) 15.86**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

वर्ष 2016-17 के लिये कर राजस्व का विघटन **चार्ट-1.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट - 1.2
वर्ष 2016-17 के कर राजस्व का विघटन
(₹ करोड़ में)

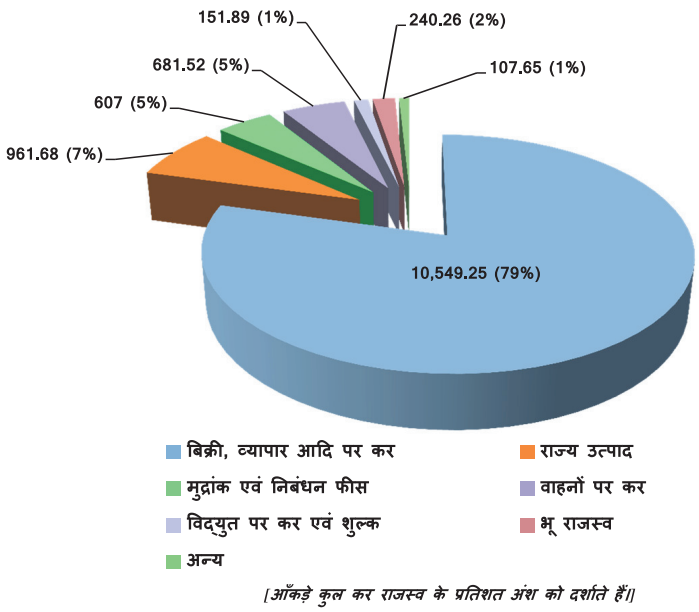

[आँकड़े कुल कर राजस्व के प्रतिशत अंश को दर्शाते हैं।]

1.2.3 2012-13 से 2016-17 के दौरान सृजित कर-भिन्न राजस्व का विवरण **तालिका-1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका-1.3

कर-भिन्न राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2015-16 की तुलना में 2016-17 में वृद्धि (+) कमी (-) की प्रतिशतता
1	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	ब.अ.	3,209.92	3,500.00	4,699.47	5,500.00	7,050.00	(+) 28.18
		वास्तविक	3,142.47	3,230.22	3,472.99	4,384.43	4,094.25	(-) 6.62
2	वानिकी एवं वन्य जीवन	ब.अ.	4.80	5.25	4.18	10.39	6.00	(-) 42.25
		वास्तविक	4.22	5.17	3.66	4.13	4.48	(+) 8.48
3	ब्याज प्राप्तियाँ	ब.अ.	65.00	115.00	243.36	90.00	275.00	(+) 205.56
		वास्तविक	72.23	69.48	143.04	122.44	121.34	(-) 0.90
4	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	ब.अ.	19.00	20.00	3.62	10.00	6.00	(-) 40.00
		वास्तविक	20.48	5.24	4.16	3.73	36.79	(+) 886.33
5	अन्य[2]	ब.अ.	542.37	703.40	742.39	693.64	1,088.76	(+) 56.96
		वास्तविक	296.23	442.60	711.21	1,338.28	1,094.55	(-) 18.21
कुल		**ब.अ.**	**3,841.09**	**4,343.65**	**5,693.02**	**6,304.13**	**8,425.76**	**(+) 33.65**
		वास्तविक	**3,535.63**	**3,752.71**	**4,335.06**	**5,853.01**	**5,351.41**	**(-) 8.57**

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे एवं झारखण्ड सरकार के राजस्व एवं प्राप्तियों की विवरणी के अनुसार पुनरीक्षित अनुमान।

वर्ष 2016-17 के लिये कर-भिन्न राजस्व का विघटन **चार्ट-1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट - 1.3

2016-17 के लिये कर-भिन्न राजस्व का विघटन

(₹ करोड़ में)

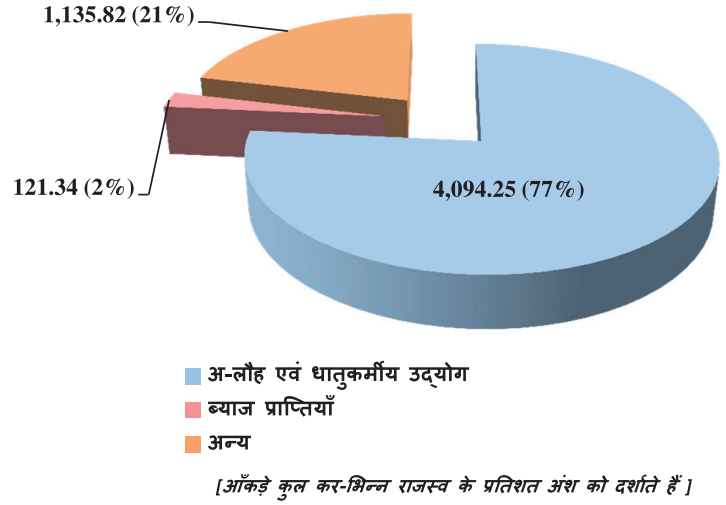

[आँकड़े कुल कर-भिन्न राजस्व के प्रतिशत अंश को दर्शाते हैं]

[2] लाभांश एवं मुनाफा, आर्थिक सेवायें (अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग एवं वानिकी एवं वन्य जीव को छोड़कर), सामान्य सेवायें, अन्य वित्तीय सेवायें, सामाजिक सेवायें (सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण छोड़कर)

लेखापरीक्षा ने वित्त विभाग द्वारा तैयार किये गये बजट अनुमानों और वास्तविक राजस्व (तालिका 1.2 और 1.3 का संदर्भ) के मध्य निरंतर व्यापक भिन्नता का उल्लेख किया है। बिहार वित्तीय नियम भाग-I (यथा झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) यह निर्धारित करता है कि वित्त विभाग को प्रशासनिक विभाग से प्राप्त ब्यौरे के आधार पर बजट अनुमान तैयार करने की आवश्यकता है, जो सामग्री की शुद्धता के लिये उत्तरदायी है। हालाँकि प्रशासनिक और वित्त विभाग की संचिका की लेखापरीक्षा में प्रकट हुआ कि वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए प्रशासनिक विभागों द्वारा सूचित अनुमानों को बिना कोई कारण बताये मुख्य सचिव द्वारा अध्यक्षता में बैठकों के दौरान एकतरफा रूप से बढ़ाया गया इसके परिणामस्वरूप वास्तविक प्राप्तियाँ की प्रवृति पर विचार किये बिना अनुमान वित्त विभाग द्वारा तय किये जाते हैं। इस तथ्य की पुष्टि प्रशासनिक विभाग द्वारा की गयी है।

अनुशंसा:

वित्त विभाग बजट अनुमानों को अंतिम रूप देने और विचलन के लिये लिखित कारणों को अंकित करते समय प्रशासनिक विभागों द्वारा प्रदान किये गये इनपुटों का उपयोग कर सकता है।

1.3 बकाये राजस्व का विश्लेषण

31 मार्च 2017 को राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के संबंध में ₹ 4,455.53 करोड़[3] के राजस्व बकाये थे जिनमें ₹ 2,200.92 करोड़[4] पाँच वर्षों से अधिक समय से बकाया थे। विवरण जैसा संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराया गया **चार्ट-1.4** में नीचे दिया गया है:

चार्ट - 1.4

31 मार्च 2017 का राजस्व बकाये का विघटन

(₹ करोड़ में)

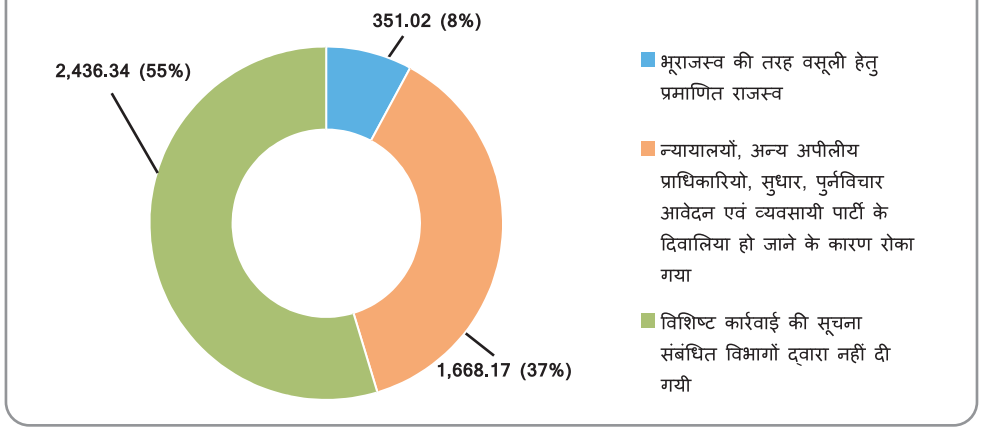

[3] व्यापार एवं बिक्री पर कर आदि : ₹ 4,154.70 करोड़; वाहनों पर कर: ₹ 270.27 करोड़; राज्य उत्पाद: ₹ 30.56 करोड़।

[4] व्यापार एवं बिक्री पर कर आदि : ₹ 2,020.87 करोड़; वाहनों पर कर: ₹ 169.05 करोड़; राज्य उत्पाद: ₹ 11.00 करोड़।

लेखापरीक्षा ने बकाया राजस्व के संग्रहण में लंबनता के कारणों को सुनिश्चित करने के लिये संबंधित विभागों की संचिकाओं और अभिलेखों की जाँच की। विभागों ने विभिन्न चरणों में लंबनता को सूचित किया लेकिन लंबित बकाये राजस्व से संबंधित व्यक्तिगत अभिलेखों को जाँच के लिये लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। तथापि लेखापरीक्षा ने तीन वाणिज्यकर अंचलों[5] के संबंध में अन्य प्रकरणों में शामिल वाणिज्यकर विभाग के ₹ 2,396.26 करोड़ में से ₹ 919.71 करोड़ के बकाये राजस्व की नमूना जाँच की। यह देखा गया कि 2006-07 से 2013-14 की अवधि के लिये बकाये राजस्व की राशि के संचयन विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के पास लंबित पड़े मामलों के कारण थी।

आगे यह देखा गया कि बकाया राजस्व के संग्रहण की प्रगति का अनुश्रवण करने या बकाये राजस्व के संचयन के कारणों का निर्धारण करने के लिये कोई तंत्र नहीं था। विभागों में लंबित बकाये राजस्व का डाटाबेस नहीं है। क्षेत्र कार्यालयों द्वारा प्रदत्त आँकड़ों में से लंबित बकाये राजस्व के आँकड़े को लेखापरीक्षा के पहल पर प्रत्येक वर्ष संकलित किये गये थे। विभागों ने भी स्वीकार किया कि विभागीय स्तर पर बकाये राजस्व के अनुश्रवण करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी।

अनुशंसा:

विभाग बकाये राजस्व का एक डाटाबेस बना सकती है और बकाये राजस्व की प्रगति के अनुश्रवण और उनके संचयन के कारणों का निर्धारण करने के लिये एक तंत्र स्थापित कर सकती है।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण-संक्षेपित स्थिति

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) अधिसूचना (दिसंबर 2002) के मामले में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (नि.म.ले.प.) के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल कंडिकाओं पर विभागों को विधानसभा में उनके प्रस्तुत करने के तीन माह के अन्दर कार्रवाई शुरू करना आवश्यक है और सरकार लो.ले.स. द्वारा विचार के लिये कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणी (ए.टी.एन.) उस पर प्रस्तुत करेगी। 31 मार्च 2012, 2013, 2014, 2015 एवं 2016 के नि.म.ले.प. के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में जो जुलाई 2013 एवं फरवरी 2017 के मध्य राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तूत किया था, में शामिल 144 कंडिकाओं (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) के संबंध में तीन महीने के औसत विलंब के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी (विभागों का उत्तर) प्रस्तूत करने में महत्वपूर्ण विलंब किया गया। विभिन्न विभागों[6] से संबंधित लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणी का विवरण **तालिका-1.4** में दिया गया है:

---

[5] राँची पूर्वी, राँची दक्षिणी और राँची पश्चिम।

[6] वाणिज्यकर (46 कंडिकाये); राज्य उत्पाद एवं मद्य निषेध (13 कंडिकाये); परिवहन (19 कंडिकाये); राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार (8 कंडिकाये); और खान एवं भूतत्व (13 कंडिकाये)।

तालिका-1.4

क्र सं	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की समाप्ति का वर्ष	विधानमण्डल में प्रस्तुतीकरण की तिथि	कंडिकाओं की संख्या	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त हुई	कंडिकाओं की संख्या जिनकी व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2012	27.07.2013	25	8	17
2	31 मार्च 2013	04.03.2014	27	12	15
3	31 मार्च 2014	26.03.2015	28	20	8
4	31 मार्च 2015	15.03.2016	32	3	29
5	31 मार्च 2016	02.02.2017	32	2	30
कुल			**144**	**45**	**99**

लेखापरीक्षा ने विभागों की संचिकाओं की जाँच वर्ष प्रति वर्ष होने वाले समान प्रकार की अनियमितताओं के कारणों का पता लगाने के लिये किया। तथापि इन्हें बारम्बार लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया था। यह देखा गया कि यद्यपि विभागों ने राजस्व की वसूली के लिये कार्रवाई शुरू की, विभागों द्वारा निरंतर होने वाले अनियमिताओं को रोकने के लिये किसी भी स्तर पर सुधारात्मक उपाय को नहीं बताया।

लो.ले.स. ने वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित 16 चयनित कंडिकाओं पर चर्चा की और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (2009-2010) में शामिल खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित पाँच कंडिकाओं और दो उप-कंडिकाओं पर अपनी अनुशंसा दी जिस पर मात्र एक ए.टी.एन. विभाग से प्राप्त हुआ (सितंबर 2016)।

अनुसंशा:

राज्य सरकार राजस्व के रिसाव को रोकने के लिये लेखापरीक्षा द्वारा उजागर कमियों और प्रणाली दोषों को दूर करने के लिये कार्रवाई शुरू कर सकती है और यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि सभी विभाग शीघ्र लो.ले.स. की अनुसंशाओं पर ए.टी.एन. तैयार करे।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति विभागों/ सरकार की प्रतिक्रिया

सरकारी विभागों और कार्यालय के लेखापरीक्षा के सम्पन्न होने के पश्चात लेखापरीक्षा संबंधित कार्यालयों के प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) को प्रतियों सहित जिसमे सुधारात्मक कार्रवाई और अनुश्रवण के लिये उनके उच्च पदाधिकारियों को निर्गत करती है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागों के प्रमुखों और सरकार को प्रतिवेदित की जाती है।

वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक निर्गत नि.प्र. की समीक्षा में उद्घटित हुआ कि 851 नि.प्र. से संबंध 8,336 कंडिकायें जून 2017 के अंत तक लंबित थी। इन नि.प्र. में लाये गये वसूली योग्य संभावित राजस्व ₹ 12,985.32 करोड़ के बराबर है जबकि

राज्य का कुल राजस्व संग्रहण ₹ 18,650.66 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से संबंधित विभागवार विवरण **तालिका-1.5** में दिया गया है:

तालिका-1.5

निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्यकर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	212	4,598	6,707.55
		प्रवेश कर	5	5	9.55
		विद्युत शुल्क	12	66	100.07
		मनोरंजन कर आदि	1	2	0.12
2	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	राज्य उत्पाद	136	738	812.64
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	59	590	3,290.20
4	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	155	965	331.02
5	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	125	591	36.59
6	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	146	781	1,697.58
कुल			**851**	**8,336**	**12,985.32**

2008-09 से निर्गत 147 नि.प्र. के लिये नि.प्र. जारी करने की तारीख से एक महीने के भीतर अधिकारियों के प्रमुखों से प्राप्त होने वाले प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं किये गये थे। विभागवार विवरण नीचे **तालिका-1.6** में दिया गया है:

तालिका-1.6

प्रथम उत्तर हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लंबित नि.प्र. की संख्या	लंबित लेखापरीक्षा अवलोकनों की संख्या	सन्निहित राशि
1	वाणिज्य कर	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	32	701	649.28
		प्रवेश कर	4	4	9.97
		विद्युत शुल्क	8	18	16.30
		मनोरंजन कर आदि	1	1	0.10
2	उत्पाद एवं मद्यनिषेध	राज्य उत्पाद	7	67	9.25
3	राजस्व एवं भूमि सुधार	भू-राजस्व	33	400	2,152.74
4	परिवहन	मोटर वाहनों पर कर	31	229	91.82
5	निबंधन	मुद्रांक एवं निबंधन फीस	13	56	9.68
6	खान एवं भूतत्व	अ-लौह खनन एवं धातुकर्मीय उद्योग	18	96	123.75
कुल			**147**	**1,572**	**3,062.89**

अनुशंसा:

राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र स्थापित कर सकती है कि विभागीय अधिकारी तुरंत नि.प्र. का उत्तर दें, सुधारात्मक कार्रवाई करें और नि.प्र. के शीघ्र निष्पादन के लिये लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करें।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान संचालित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

लेखापरीक्षा में राज्य सरकार के पाँच विभाग[7] शामिल थे और 2016-17 दौरान बिक्री व्यापार आदि पर कर, राज्य उत्पाद, वाहनों पर कर, भू राजस्व, मुद्रांक एवं निबंधन फीस और विद्युत पर कर एवं शुल्क तथा खनन प्राप्तियों से संबंधित लेखापरीक्षा योग्य 548 इकाईयों में से 132 इकाईयों (24 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। आगे, यह एक नमूना लेखापरीक्षा थी। 2015-16 के दौरान पाँच विभागों ने ₹ 15,460.08 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया था, जिनमे से 132 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 14,772.58 करोड़ (96 प्रतिशत) संग्रहित किये। 132 लेखापरीक्षित इकाईयों में से आवर्त/ कर भुगतान और अन्य संबंधित विभागों से संग्रहित आँकड़ो के तिर्यक जाँच के आधार पर अभिलेखों का नमूना जाँच किया गया जिसमें 29,688 मामलों में ₹ 2,487.73 करोड़ (इकाईओं द्वारा संग्रहित राजस्व का 17 प्रतिशत) के अवनिर्धारण/ अल्पारोपण/ राजस्व की हानि उद्घटित हुआ। संबंधित विभागों ने लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित 26,662 मामलों में ₹ 1,817.84 करोड़ (73 प्रतिशत) के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया। विभागों ने 507 मामलों में ₹ 9.51 करोड़ वसूल किया।

अनुसंशा:

राज्य यह सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र विकसित कर सकता है कि विभाग लेखापरीक्षा द्वारा बताये गये और विभागों द्वारा स्वीकार किये गये सभी अव-निर्धारण/ अल्पारोपण की वसूली करे।

1.7 इस प्रतिवेदन का कार्यक्षेत्र

इस प्रतिवेदन में 15 चयनित कंडिकायें स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान एवं पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान पाये गये लेखापरीक्षा अवलोकनों, जिन्हें पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किया जा सका था, **"झारखण्ड राज्य में खनन प्राप्तियाँ"** पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा, तथा **"मूल्य वर्धित कर का कार्यान्वयन तथा माल एवं सेवा कर के लिये विभाग की तैयारी"** पर एक लेखापरीक्षा से संबंधित वित्तीय प्रभाव के ₹ 1,651.44 करोड़ शामिल है।

[7] वाणिज्यकर, उत्पाद एवं मद्य निषेध, परिवहन, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार और खान एवं भूतत्व।

अधिकांश लेखापरीक्षा अवलोकन एक प्रकृति के हैं जो राज्य सरकार के विभाग की अन्य इकाईयों में समान त्रुटियों/ लोपों को प्रतिबिम्बित कर सकते हैं लेकिन नमूना लेखापरीक्षा में शामिल नहीं हैं।

इसलिये विभाग/ सरकार द्वारा उन सभी अन्य इकाईयों की आंतरिक जाँच कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यकता और नियमों के अनुसार काम कर रहें हैं।

विभाग/ सरकार ने ₹ 1,586.57 करोड़ के लेखापरीक्षा अवलोकनों को स्वीकार किया और ₹ 9.22 करोड़ वसूली की। इनकी चर्चा अनुवर्त्ती अध्याय II से VI में की गयी है।